



ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE

(Affiliated to the University of Rajasthan)

**DIRECTORATE OF
COLLEGE
EDUCATION
SC/ST/OBC
RESERVATION POLICY**



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

Kapila
IQAC HEAD
ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE
JAIPUR

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2022-23 / 591 दिनांक: 20 जून, 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: प्रवेश नीति सत्र 2022-23 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित करें।

भवदीय,


अध्यक्ष
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।



20.6.2022

(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय-समय विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4.वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ उपभोक्ता क्लब/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश:-

- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

का

- 6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा
- 6.12 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
- 6.13 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।

34



ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE

(Affiliated to the University of Rajasthan)

2.1.2

**POLICY OF
UNIVERSITY OF
RAJASTHAN
REGARDING SC/ST/OBC
RESERVATION**



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

Kapila
IQAC HEAD
ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE
JAIPUR

HAND BOOK PART II

Volume—I

CONTENTS

SECTION—A

ACT

The University of Rajasthan Act 1946	1
The Rajasthan Universities Teachers and Officers (selection for appointment) Act, 1974	31
The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act	42
Notifications of Education (Gr. IV) Department	44

SECTION—B

STATUTES

The Scheduled	The Statutes of the University	1
	SECTION—C	
Chapter I	The University	1
II	The Visitor	1
III	The Patron	1
IV	The Chancellor	1
V	The Vice-Chancellor	1
V-A	The Pro-Vice-Chancellor	2
VI	The Registrar	2
VII	The Deans of Faculties	2
VIII	The Senate	2
	Meetings of the Senate	
	Registration of Graduates	
	Election of Registered Graduates	
IX	The Syndicate	3
	Meetings of the Syndicate	
X	The Academic Council	4
	Meetings of Academic Council	
XI	The Faculties (General)	5
	Meetings of Faculties	
XII	The Faculty of Arts	6
XII-A	The Faculty of Social Sciences	7

..	XII-B	The Faculty of Fine Arts, Music & Dramatics	8
..	XIII	The Faculty of Science	9
..	XIV	The Faculty of Commerce	11
..	XIV-A	The Faculty of Management Studies	12
..	XV	The Faculty of Law	13
..	XVI	The Faculty of Engineering and Technology	13
..	XVII	The Faculty of Medicine and Pharmaceutics	15
..	XVIII	The Faculty of Education	17
..	XVIII-A	The Faculty of Sanskrit Studies	19
..	XVIII-B	The Faculty of Ayurveda	19
..	XVIII-C	The Faculty of Homeopathy	21
..	XIX	The Boards of Studies	22
..	XX	Affiliation of Colleges	29
..	XXI	The Board of Inspection and Inspection of Affiliated Colleges & Approved Institutions	141
..	XXII	Admission to Students of Affiliated Colleges	148
..	XXIII	Enrolment of Students	171
..	XXIV	Discipline, Health and Residence	173
..	XXV	Scholarships, Medals, Prizes, etc.	176
..	XXVI	University Common Seal	189
..	XXVII	Convocation	189
..	XXVIII	Degrees	194
		Ordinances for M.Phil. Degree	194
		Ordinances for Ph.D.	197
		Ordinances for D.Litt. & D.Sc.	210
		Rules for conferment of the title of Emeritus/Honorary Professor (O.140-N)	212
..	XXIX	University Professorships and Readership	213

RULES FOR EXEMPTION /PARTIAL EXEMPTION FOR PAYMENT OF TUITION AND/OR OTHER FEE

49

No Tuition fee will be charged from the women students studying in the University Departments and Constituent Colleges for all types of courses including technical education but excluding self-financing courses run by the University.

Students whose parents/guardians are non-income tax payers and who belong to scheduled castes/scheduled tribes, other backward classes and special backwards classes and also students who are wards of non-income tax payer ex-army men are exempted from payment of tuition fee except in the case of Department of European Languages.

A student who is the ward of a defence personnel (or who himself is an ex-defence personnel) who was either permanently disabled or killed during

- (i) NEFA/LADDAKH operation of 1962 or
- (ii) Indo-Pak War of 1971 shall be exempted from payment of tuition fee, examination fee and hostel room rent, provided that:
 - (a) the family is now permanently settled in Rajasthan,
 - (b) the family is not in receipt of a pension exceeding Rs. 400/- p.m. and
 - (c) the student submits in duplicate a certificate from the Commanding Officer of the Unit concerned under the Seal of his office in the proforma

A student who is orthopaedically handicapped shall be exempted from payment of tuition fee and examination fee provided he produces a certificate to that effect signed by a doctor not below the rank of a Junior Specialist and countersigned by the Principal Medical Officer that the candidate is permanently/partially disabled person.

- (i) Visually and hearing impaired candidates will be exempted from payment of the examination & tuition fee.
- (ii) Visually impaired students who are admitted to Post-Graduate courses in the University Teaching Departments will be exempted from payment of Tuition Fee, Library Caution Money, Laboratory Caution Money, Laboratory Fee, Library Fee, Games Fee, Publication Fee, Students Aid Fund Fee, Non-Resident Students Centre Fee, but if a blind student resides in a Hostel, all Hostel Fees will be charged.

No tuition fee will be charged from the wards of Martyr (Martyr should be permanently domicile of Rajasthan) studying in the University Departments and constituent Colleges for all typed courses including technical educations but excluding self financing courses run by the University.

otes:

Laboratory Fee will be charged from all Students of the Science Faculty, and students in the Departments of Anthropology, Geography, Psychology and Statistics of the Faculty of Social Sciences and students in the Departments of Music and Drawing & Painting.

Laboratory Caution Money deposit will be charged from all students from whom laboratory fee is realized.

Where parking is provided, a fee of Rs. 130.00 per annum will be charged from every student.

Publication Charge/Fee will be only in such Departments/Colleges where such facilities are available.

4. Any other fees not specified here shall not be charged unless prior approval of the Vice-Chancellor has been obtained.
5. All deposits will be forfeited if not withdrawn within three academic sessions after leaving College/University.
6. Students of P.G. Diploma Course in Indian Culture will be required to pay Rs. 660/- as tuition fee if they are regular students of a Post-graduate course in the University.
7. The Departments may not accept tuition fee from the hostlers for the II term unless they produce a 'No Dues Certificate' from the Warden concerned. A list of such hostlers shall be sent by the Resident Wardens to the Directors/Heads of the Department in advance.
8. Students belonging to **Scheduled Castes and Scheduled Tribes** whose parents/ guardians are non-income tax payers will be granted fresh admission or re-admission, as the case may be, on payment of the admission/re-admission fee of Rs. 35/- only and all other fees (excepting the fees from which they are exempted) will be deducted from their scholarship money. In case scholarship is not granted to them by the State Govt. they will be required to deposit the balance of fee failing which their admission will stand cancelled.
9. It is compulsory for all students to fill and deposit the "**Group Insurance Form**" as directed by the Dean Students Welfare Office.

Reservation Policy

1. Reservation of seats/relaxation of marks for S.C., S.T., OBC, MBC, Economically Weaker Sections, Physically Handicapped Candidates: will be as per the policy of Government of Rajasthan.
 - (A) 49% of the total number of seats in each course in the Faculties of Arts, Fine Arts, Law, Social Sciences, Science, Commerce, (including Honours, Pre-Professional, Certificate/Diploma Course, if any, in all these Faculties) will be reserved in each College/Department for NATURAL BORN sons/ daughters of parents belonging to Scheduled Castes (16%), Scheduled Tribes (12%), OBC except creamy layer (21%)
 - (B) 5% of the total number of seats in each category and each course in the Faculties specified in (A) above will be reserved for Physically Handicapped candidates defined as Deaf/Dumb/Blind/Loss of any limb with permanent disability. As per reservation policy of the Government of Rajasthan.
 - (C) 10% of the total number of seats in each category and each course in the Faculties specified in (A) above will be reserved for the wards of Kashmiri Migrants.
 - (D)
 - (i) All Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC candidates who have passed the qualifying examination for admission to a University course may be arranged in order of merit within the category to which they belong.
 - (ii) Those who have secured marks above the level upto which the general category students are admitted, they should not be counted towards reserved quota at all and should be included in the General Merit List of admissions.
 - (iii) Excluding those admitted on merit along with general candidates as at (ii) above, other Scheduled Caste, Scheduled Tribe candidates should be admitted in the order of merit going down the inter-se-merit list upto

श्री



श्री

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अन्वेषक भवन, शिविल लार्ज रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर

क्रमांक 9(4)(33)उ.मै.छा./पोर्टल/कार्ययोजना/सामाजि/2021-22/5420

दिनांक : 02/03/2023

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु-जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के एवं राज्य के बाहर संचालित राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE ICON पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण करवाने हेतु, विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अन्तिम तिथि तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण करवाने हेतु अन्तिम तिथि	28 फरवरी, 2023	31 मार्च, 2023

विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं अन्य आवश्यक जानकारी sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा <https://sje.rajasthan.gov.in> के माध्यम से अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(हरि झोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

Head, IQAC
St. Wilfred's PG College

भीम



75

क्रमांक ए 9(4)(33)ए.पी. / सान्याजि / पोर्टल / कार्ययोजना / 2021-22 / 542-4

दिनांक : 02/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलक्टर/कोषाधिकारी (समस्त राज0)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाइट पर उक्त आदेश अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु प्रेषित है।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा)/जि.प. एवं स. क. अ. (छात्रवृत्ति) मुख्यावास।
20. संयुक्त निदेशक/उप/सहायक निदेशक/जि.प. एवं स. क. अ. सान्याजि समस्त को सूचनार्थ।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

E:\SB 2022\ORDER & VIGYAFTL.DOCX



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

64

Head, IQAC
St. Wilfred's PG College

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अन्वेषक भवन, विभिन्न हाईन रेन्ज प्रोग्राम के माध्यम से, जयपुर
आवधिक संकेत 0(4)(33) अ. पोर्टल/परीन सुकल/सामाजिक/2021-22/5050 दिनांक : 30/01/2023

आवेक

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु-
जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा
वर्ग)/ विगुलत, सुगन्तु एवं अर्धसुगन्तु/मुख्यमंत्री सार्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाओं
में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय
स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा
वेबसाइट www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एराएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP
SJE APP पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए
पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मेट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा नवीन पंजीयन/ पूर्व में पंजीयन की मान्यता अद्यतन करने के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित की जाती है।	31 जनवरी, 2023	28 फरवरी, 2023

उत्तर मेट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट <https://sje.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

RajKaj Ref No. : 3067805



(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ट शासन सचिव
Signature valid

Digitally signed by Anupreema Singh
Kuntal
Designation: Commissioner
Date: 2023.01.30 11:42:02 IST
Reason: Approved



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

Head, IQAC
St. Wilfred's PG College

भीम



75

क्रमांक ए 9(4)(33)प.व.ए. / सान्याजवि / पोर्टल / कार्ययोजना / 2021-22 / 542-4

दिनांक : 02/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलक्टर/कोषाधिकारी (समस्त राज0)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
14. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय समस्त.....।
15. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
16. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाइट पर उक्त आदेश अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु प्रेषित है।
18. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. सहायक निदेशक (शिक्षा)/जि.प. एवं स. क. अ. (छात्रवृत्ति) मुख्यावास।
20. संयुक्त निदेशक/उप/सहायक निदेशक/जि.प. एवं स. क. अ. सान्याजवि समस्त को सूचनार्थ।
21. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

E:\SB 2022\ORDER & VIGYAFTL.DOCX



Fareeda
Principal
(Dr. FAREEDA HASANI)
St. Wilfred's P.G. College
Jaipur

64

Head, IQAC
St. Wilfred's PG College